773/2012

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तामील[illegible] में जारी हुए
9.2.2017	सरकारी पैरोकार उप०। अप्रार्थी की तलबी होकर पत्रावली दि. 18/4/2017 को पेश हो। अति० जिला कलेक्टर, पाली	
18.04.2017	सरकारी पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार रायपुर से अप्रार्थी का वर्तमान निवास पते सम्बन्धी सूचना प्राप्त नही हुई है। प्रकरण वर्ष 2012 से विचाराधीन है। 05 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी अप्रार्थी का वर्तमान निवास पता प्रस्तुत नही करने के कारण प्रकरण में तलबी नही हुई है। अतः यह स्थिति रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 15 का उल्लंघन है। अतः रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 21 के तहत तहसीलदार मा०ज० द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार मा०ज० को निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारान का वर्तमान निवास पता अंकित कर रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए एक माह की अवधि में नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार मा०ज० को वास्ते पालनार्थ भिजवाई बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली	